Rajasthan Legal Service Council Jaipur

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 5012, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

सुरेश चन्द्र शर्मा
महासचिव
9461305426

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 22 दिनांक : 14/09/2026

माननीय मुख्य सचिव महोदय,
राजस्थान सरकार
शासन सचिवालय जयपुर।

विषयः— सहायक विधि परामर्शी (ALR) संवर्ग में कार्यरत 83 अधिकारियों में से 65 पात्र एवं उपयुक्त अधिकारियों को उप विधि परामर्शी (DLR) पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु 1/3 ALR उपलब्धता संबंधी शर्त में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 एवं दिनांक 21.06.2022 के अंतर्गत शिथिलन प्रदान किए जाने और वैकल्पिक रूप से राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981 के नियम 42 के अंतर्गत शिथिलन प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सविनय निवेदन है कि राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981 के अन्तर्गत अनुसूची–1 में उल्लेखित उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक विधि परामर्शी के पद पर 03 वर्ष का कार्यानुभव विहित है। वर्तमान में विश्वस्त सूत्रों से विदित है कि सहायक विधि परामर्शी (ALR) संवर्ग में कुल 83 अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि उप विधि परामर्शी (DLR) के 65 रिक्त पदों पर पदोन्नति वर्ष 2026–27 में किया जाना प्रस्तावित/अपेक्षित है। इस संबंध में मुख्य कठिनाई यह है कि यदि 83 ALR अधिकारियों में से 65 अधिकारियों को DLR पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ALR संवर्ग में केवल 18 अधिकारी शेष रह जाएंगे। इस कारण सामान्य रूप से 1/3 ALR उपलब्धता की शर्त पूरी नहीं होती है। अर्थात् यही वह एकमात्र प्रमुख बिंदु है जिसके कारण 65 DLR पदों पर पदोन्नति के संबंध में वर्तमान में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

महोदय कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 में पदोन्नति के पश्चात मूल संवर्ग में निर्धारित संख्या/अनुपात में अधिकारियों की उपलब्धता बनाए रखने संबंधी प्रावधान के कारण वर्तमान स्थिति में 65 पदोन्नतियों के संबंध में व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। 83 ALR अधिकारियों का एक–तिहाई लगभग 27.67 अर्थात लगभग 28 अधिकारी होता है। 65 अधिकारियों की पदोन्नति के पश्चात केवल 18 ALR अधिकारी शेष रहेंगे। इस प्रकार सामान्य स्थिति में अपेक्षित 1/3 उपलब्धता बनाए रखना संभव नहीं होगा।

महोदय ज्ञातव्य है कि राज्य के विधिक प्रशासन में DLR स्तर के अधिकारियों की अत्यधिक आवश्यकता है और DLR के 65 पदों पर पदोन्नति अपेक्षित है। जबकि सहायक विधि परामर्शी संवर्ग में भी अधिकारियों की उपलब्धता सीमित है। अतः केवल 1/3 ALR उपलब्धता की सामान्य शर्त के कारण 65 DLR पदों को रिक्त रखना राज्य के विधिक कार्यों एवं प्रशासनिक हित में उचित नहीं होगा।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान विधि सेवा परिषद निम्नानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करती है:–

1. राजस्थान विधि सेवा में सहायक विधि परामर्शी के 94 पद सृजित एवं स्वीकृत संवर्ग है, इनमें से वर्तमान में 83 सहायक विधि परामर्शी कार्यरत है।

2. सहायक विधि परामर्शी के कुल पदों में से लगभग 60 प्रतिशत पद विभिन्न विभागों में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पद के साथ–साथ Link/ कार्यरत है। उन पदों पर सहायक विधि परामर्शी का कार्य प्रस्तावों पर समीक्षा करने का होता है तथा उच्च पद पर अधिकारी का कार्य समीक्षा/निर्णायक का होता है। अर्थात जहां वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, संयुक्त विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पद है, उनके साथ सहायक विधि परामर्शी का पद रिक्त रहता भी है तो भी समीक्षा निर्णायक उप विधि परामर्शी/ संयुक्त विधि परामर्शी /वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। अर्थात ALR पद रिक्त रहने से राजकीय कार्य में कोई असुविधा नहीं होगी।

3. सहायक विधि परामर्शी के शेष पदों में से लगभग 20 प्रतिशत् पद जो विभिन्न विभागों आदि में स्वीकृत है, को प्रस्तावों पर समीक्षा/निर्णय का कार्य करना होता है, इसमें इनकी सहायता के लिए

JLO / SLO का पद स्वीकृत है और इन पदों के अधिकारी द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य किया जाता है, इससे राजकीय कार्य में कोई असुविधा नही आयेगीं।

4. सहायक विधि परामर्शी के शेष पदों में से लगभग 20 प्रतिशत् पद विभिन्न विभागों में एकल/स्वतंत्र पद है उस स्थिति में उप विधि परामर्शी के पदोन्नति पश्चात् 18 सहायक विधि परामर्शी के पद फिर भी उपलब्ध रहेंगे, इससे राजकीय कार्य में कोई असुविधा नही आयेगीं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजकीय वादकरण नीति–2018 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं वादकरण को नियंत्रित रखने के दृष्टिकोण से उप विधि परामर्शी (**DLR**) का पद अति महत्त्वपूर्ण प्रकृति का है। जिससे जिला स्तर, संभाग स्तर एवं विभिन्न विभागों के प्रशासनिक स्तर पर राजकीय वादकरण संबंधी निर्णायक समीक्षा की जा सके इसलिए सहायक विधि परामर्शी (**ALR**) के पद कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 के परिप्रेक्ष्य में **1/3** से कम कार्यरत रहते है, तो भी इससे राजकीय कार्य में कोई असुविधा नही आयेगीं क्योंकि **DLR** पद के अधिकारी द्वारा कार्य किया जा सकता है।

महोदय पूर्व में भी कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2022 द्वारा अनुभव में 1/3 अवधि में शिथिलन उपरांत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 में न्यूनतम 1/3 कार्मिक कार्यरत रहने की शर्त पर पदोन्नति के वांछित अनुभव में शिथिलता प्रदान की गई थी। अतः इस प्रकरण में भी परिपत्र दिनांक 21.06.2022 में दी गई शिथिलन के अनुसार ही शिथिलता दी जावे।

राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1981 के नियम 42 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार 1/3 कार्यानुभव में छूट दी जा सकती है। परन्तु परिपत्र दिनांक 07.01.2020 में 1/3 कार्मिक शेष कार्यरत रहने संबंधी शर्तों का उल्लेख है, जबकि राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1981 के नियम 42 में यह प्रावधान नहीं है। इसलिए उक्त परिपत्र की शर्तो को न्यायसंगत नही माना जा सकता है, क्योंकि विधि का सामान्य सिद्धांत है कि परिपत्र की अपेक्षा नियमों के प्रावधान को लागू किया जाना न्यायसंगत होगा अर्थात् राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ नियम 1981 के नियम–42 के अन्तर्गत (**Power to relax rules**) में शिथिलिन दिया जाना नियमानुसार न्यायोचित व औचित्यपूर्ण है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2022 का लाभः–

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2022 द्वारा परिपत्र दिनांक 07.01.2020 में विहित प्रावधानों के संबंध में शिथिलन प्रदान किया गया था, वर्तमान प्रकरण में दिनांक 21.06.2022 के परिपत्र की भावना एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 07.01.2020 के परिपत्र के अंतर्गत **1/3 ALR** उपलब्धता संबंधी प्रतिबंध से आवश्यक शिथिलन प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं राज्यहित में होगा। वर्तमान प्रकरण में **83 ALR** में से 65 अधिकारियों को **DLR** पद पर पदोन्नति देने के पश्चात **18 ALR** अधिकारी शेष रहेंगे। यद्यपि यह संख्या **1/3** से कम है, लेकिन **DLR** के 65 पदों को भरने की अत्यावश्यक प्रशासनिक आवश्यकता तथा विधिक कार्यों की निरंतरता को देखते हुए उक्त अनुपात में विशेष शिथिलता दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहायक विधि परामर्शी (**ALR**) संवर्ग में कार्यरत 83 अधिकारियों में से 65 पात्र एवं उपयुक्त अधिकारियों को उप विधि परामर्शी (**DLR**) पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु 1/3 **ALR** उपलब्धता संबंधी शर्त में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 एवं दिनांक 21.06.2022 के अंतर्गत शिथिलता प्रदान किए जाने और वैकल्पिक रूप से राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981 के नियम 42 के अंतर्गत शिथिलन हेतु सक्षम स्तर से निर्णय लिए जाने का श्रम करावें जिससे पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की सकारात्मक कार्यवाही से 65 पात्र एवं उपयुक्त अधिकारियों को उप विधि परामर्शी (**DLR**) के पद पर पदोन्नति से विधि सेवा के अधिकारियों में संतोषप्रद एवं उत्साह का वातावरण बनेगा।

संलग्नकः–

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 की प्रति।
2. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2022 की प्रति।
3. राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, **1981** के **Rule 42** की प्रति।

भवदीय,

(सुरेश चंद्र शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक:–प. 2(1)कार्मिक / क–2 / अं.प्र. / 91 पार्ट जयपुर, दिनांक 7 JAN 2020

परिपत्र

समस्त अति० मुख्य सचिव / शासन प्रमुख सचिव / शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

विषयः–नियमित विभागीय पदोन्नति समिति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

सभी सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन संबंधी प्रावधान समाहित किया हुआ है। किसी भी पद / संवर्ग में नियमित डीपीसी आयोजित करने से पूर्व वांछित अनुभव में शिथिलन हेतु कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है।

पूर्व में समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.06.2018 अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा चालू डीपीसी वर्ष की 01 अप्रैल को 50% से अधिक रिक्तियां (जिसमे चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति / पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित नहीं हो) उपलब्ध होने की स्थिति में ही वांछित अनुभव में एक तिहाई अवधि का शिथिलन प्रदान किया जा रहा था। पदोन्नति किये जाने के समय किसी संवर्ग में वर्षभर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों (सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / अन्य कारण) को शामिल करते हुये कुल रिक्तियों की गणना की जाती है। कार्यात्मक आवश्यकता के मध्यनजर किसी सवर्ग मे पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन दिये जाने के उद्देश्य से भी ऐसी रिक्तियो की संख्या को सम्मिलित किया जाना उचित है।

अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुभव मे शिथिलन हेतु उन्हीं प्रकरणों को प्रेषित किया जावे जिनमें चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति / पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित करते हुये 50% या उससे अधिक रिक्तियां उपलब्ध हों एवं अनुभव मे एक तिहाई अवधि के शिथिलन उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई या अधिक कार्मिक कार्यरत रहे।

समस्त विभागाध्यक्षों / नियुक्ति अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव में शिथिलन के प्रस्ताव को डीपीसी से सम्बन्धित पत्रावली पर मय सम्बन्धित वर्ष की वरिष्ठता सूची निम्न तालिकानुसार भिजवावे ताकि कार्मिक विभाग द्वारा लोकहित मे अनुभव में छूट के प्रकरणों पर विचार किया जा सके :–

पदनाम	कुल स्वीकृत पद	चालू डीपीसी वर्ष की एक अप्रैल को कार्यरत कार्मिकों की संख्या	चालू डीपीसी वर्ष के दौरान उपलब्ध रिक्त पद	चालू डीपीसी वर्ष में अनुभव में छूट के बिना पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	चालू डीपीसी वर्ष में एक तिहाई अवधि की छूट पश्चात् सम्भावित पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	निम्न पद	
						स्वीकृत कॉडर स्ट्रेन्थ	शिथिलन उपरान्त कार्यरत
1	2	3	4	5	6	7	8

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव (प्रथम / द्वितीय), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

(जय सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

शासन उप सचिव

1/2020

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प.7(3)कार्मिक / क–2 / 95 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 21.06.2022

1. समस्त अति० मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

राजस्थान विविध सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन संबंधी प्रावधान समाहित है। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 18.01.2022 एवं 10.05.2022 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालय के मंत्रालयिक संवर्ग (जनरल विंग) के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–2023 के लिए 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त (सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र एवं अन्य कारण) होने एवं अनुभव में एक तिहाई अवधि में शिथिलन उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई कार्मिक कार्यरत रहने की शर्त पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 1 / 3 अवधि (अर्थात एक वर्ष) की शिथिलता प्रदान की गई है।

इस संबंध में मंत्रालयिक सेवा सहित अन्य सेवाओं में भी रिक्त पदों एवं पदौन्नति के संबंध में प्रकरण का परीक्षण किया गया। राज्य में विभिन्न सेवाओं के अनेक उच्च पद रिक्त हैं, जिन पर नियमों में निर्धारित अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण नियमित पदोन्नतियाँ प्रदान करना संभव नहीं हो रहा है।

अतः कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 18.01.2022 के अधिक्रमण में निर्णय लिया गया है कि राज्य की सभी सेवाओं (राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा) के ऐसे पद, जिन पर पदौन्नति हेतु 3 वर्ष या अधिक का अनुभव वांछित हैं, पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–2023 के लिए एक वर्ष का शिथिलन प्रदान किया जाता है। इस शिथिलन हेतु परिपत्र दिनांक 07.01.2020 में विहित 50 प्रतिशत पदों की रिक्तता एवं शिथिलन उपरांत निम्न पद पर एक तिहाई कार्मिक कार्यरत रहने की बाध्यता नही होगी। यह शिथिलन उन पदो पर लागू नही होगा, जहॉ पदौन्नति हेतु नियमों में सेवा अवधि का प्रावधान विहित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से पूर्व यदि किसी सेवा संवर्ग में वर्ष 2022–23 की रिक्तियों हेतु विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है, तो उन प्रकरणों में यह शिथिलन लागू नही होगा।

पदौन्नति हेतु वांछित अनुभव में यह शिथिलन दिनांक 31.08.2022 तक मान्य है। प्रशासनिक विभाग, विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन की समस्त कार्यवाही दिनांक 31.08.2022 तक पूरी करना सुनिश्चित करें, उक्त तिथि के पश्चात आयोजित होने वाली डीपीसी में शिथिलन अनुज्ञेय नही है।

21/6/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

21/06/2022

संयुक्त शासन सचिव

40/2022

सत्यमेव जयते

राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981

(दिनांक 31.10.2022 तक संशोधित)

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-2) विभाग

(सेवा नियम अद्यतन प्रकोष्ठ)

शासन सचिवालय, जयपुर

[https://dop.rajasthan.gov.in]

42. Power to relax rules.- In exceptional cases where the Administrative Department of the Government is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hard-ship if any particular case or where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, it may with the concurrence of the Department of Personnel and Administrative Reforms and in consultation with the Commission by orders dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner, provided that such relaxation shall not be less favorable then the provisions already contained in these rules. Such cases of relaxation shall be referred to the Rajasthan Public Service Commission by the [1]"Administrative Department Concerned".

[2]Provided that relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee.

[3]Provided further that where the prescribed period of experience for promotion to any post is less than 6 years, a committee headed by the Chief Secretary comprising of Principal Secretary Finance, Principal Secretary/Secretary Department of Personnel and Principal Secretary/Secretary of the Administrative Department, may consider the cases where forty five percent or more posts are vacant. The committee is empowered to suggest the quantum of relaxation in experience which may be granted in such cases to address the issue of large number of vacancies in promotional posts subject to condition that such relaxation in experience shall not be more than two years.

---

1 Substituted for "Department Personnel and Administrative Reforms Department of Personnel-A-Gr. II" vide Notification No. F. 11(2)DOP/A-II/75 Dated 18.08.1982.

2 Added vide Notification No. F. 7(3)DOP/A-2/95 Dated 18.02.1998

3 Added vide Notification No. F. 7(3)DOP/A-II/95 Pt. dated 18.07.2017